



-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।


उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला-ब्यावर)

निर्णय आज दिनांक 27/11/2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला-ब्यावर)